ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 48-50
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

उच्च शिक्षा में गिरते मूल्यों का समाज में प्रभाव

डॉ0 अर्चना श्रीवास्तव
शिक्षाशास्त्र, बलिया (उ0प्र0) भारत

Received-07.07.2022, Revised-11.07.2022, Accepted-10.10.2022 E-mail: archanasri2610@gmail.com

सारांश: – भारत वर्ष को प्राचीन काल से विश्वगुरू की संज्ञा दी गयी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय (वर्तमान रावलपिण्डी) की स्थापना 700 वर्ष ई0पू0 तथा नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ई0 में (बिहार) भारत में हो चुकी थी। निश्चित रूप से उच्च शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन आया है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय हिन्दुस्तान में 21 विश्वविद्यालय तथा 496 महाविद्यालय स्थापित हो चुके थे। वर्तमान में चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, वाणिज्य, कला, विज्ञान, प्रबन्धन आदि क्षेत्रों में नित नये महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे हैं। वर्ष 2011 के सर्वे के अनुसार भारत में 456 विष्वविद्यालय तथा 3400 महाविद्यालय थे। आज भारत में 775 विश्वविद्यालय तथा लगभग 8000 महाविद्यालय हैं।

कुंजीभूत शब्द– विश्वगुरू, सामाजिक परिर्वतन, सूचना प्रौद्योगिकी, मस्तिस्क परिपक्व, चिंतन बहुआयामी, बेरोजगारी, भौतिकवाद।

उच्च शिक्षित होने के कारण युवक/युवतियों का मस्तिष्क परिपक्व है तथा चिंतन बहुआयामी। उनमें एक सामाजिक सोच एवं जिम्मेदारी का बोध उत्पन्न होने लगता है। जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने कार्यों के द्वारा समाज में परिवर्तन एवं विकास में परोक्ष/अपरोक्ष योगदान देने लगता है। परम्पराओं, विभिन्न जड़ताओं को अस्वीकार करते हुए वह समाजोपयोगी वैचारिकता को स्थापित करता है, साथ ही समाज के अन्य लोगों को प्रेरित भी करता है। युवा वर्ग को उच्च शिक्षा देकर समय रहते पानी की धार के समान मोड़ा जा सकता है जिससे इनको पथभ्रष्ट होने से बचाया जा सके।

भारत सरकार, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि को भली–भांति ज्ञात है कि जबसे उच्च शिक्षा का निजीकरण हो गया है तभी से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों को दर–किनार करते हुए दिन–प्रतिदिन नये–नये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खुल रहे हैं। कुछ निजी संस्थानों को छोड़कर ऐसे प्राइवेट शिक्षण संस्थान गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान न करके सिर्फ पंजीकरण एवं अंकपत्र/प्रमाण–पत्र बाँटने तक सीमित रह गये हैं। ये शैक्षिक संस्थान अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक बेरोजगारी फैला रहे हैं। भौतिकवादी युग में संसाधनों की पूर्ति न हो पाने के कारण अपराध का ग्राफ ऊँचा उठता जा रहा है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों का है। स्ववित्तपोषित कॉलेजों को 'उच्च शिक्षा की रीढ़ की हड्डी' कहा जाय तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। 1993 के बाद उच्च शिक्षा का निजीकरण हुआ है, तभी से शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली और शिक्षण संस्थान, शैक्षणिक संस्थान न होकर व्यापारिक प्रतिष्ठान का रूप धारण कर चुके हैं।

स्ववित्तपोषित कॉलेजों में भारी भरकम फीस वसूली जाती है। छात्रों के लिए सुविधाएं नाममात्र की ही होती हैं। वेतन के नाम पर प्राध्यापकों को 7000 से 10000 रू0 प्रतिमाह वह भी अनियमित दिया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब अनुमोदन किसी दूसरे का होता है, पढ़ाने वाले मात्र स्नातकोत्तर योग्यताधारी होते हैं। कहने को स्ववित्तपोषित कॉलेजों के शिक्षकों को सहायक प्रोफेसर (सह आचार्य) का ठप्पा शासन द्वारा लगा दिया जाता है, किन्तु वेतन किसी भी सरकारी कार्यालय के चपरासी के वेतन के आधे तिहाई से भी कम होता है। स्ववित्तपोषित प्राध्यापकों की जीवन सुरक्षा, भविष्यनिधि, नौकरी सुरक्षा आदि की कोई गारण्टी नहीं होती है। इन प्राध्यापकों की नौकरी कालेज के प्रबन्धकों के आशीर्वाद पर टिकी होती है। जिस दिन प्रबन्धकों की आँख तिरछी हुई मानो शिक्षक पर संकट के बादल छा जाते हैं। उन्हें अस्थाई नौकरी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार महाविद्यालय में प्राप्त फीस का 80 प्रतिशत धन वेतन पर खर्च किया जाना चाहिए किन्तु 10 प्रतिशत धन ही बमुश्किल खर्च किया जाता है। चार्टड एकाउण्टेन्ट भी अधिक फीस लेकर प्रबन्धकों के मन मुताबिक रिपोर्ट बना कर दे देते हैं। यदि ईमानदारी से स्ववित्तपोषित कालेजों की जाँच हो जाए तो अनेक प्रपत्र फर्जी मिलेंगे, जाँच में जितना भ्रष्टाचार और गड़बड़झाला इन कॉलेजों में मिलेगा, उतना किसी अन्य विभाग में नहीं मिलेगा। इस भ्रष्टाचार की शिक्षा–दीक्षा विश्वविद्यालयों से मिलती है।

येन–केन प्रकारणेन कागजी कार्यवाही और विश्वविद्यालयों की आपसी खींचतान तथा सरकार से सामंजस्य न हो पाने के कारण शोधकार्य ठप पड़े हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने ही नियमों में खरा नहीं उतरता है, स्वयं के ही बनाये नियमों में फेर–बदल करता रहता है। राष्ट्र निर्माण में पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविजन चैनल्स की प्रमुख भूमि होती है, किन्तु यह

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी टी0वी0 चैनल शिक्षा और रोजगार पर डिबेट नहीं करवाता है। शोधार्थियों को मूलभूत सुविधाएं अवसर प्रदान किये जाय, जिससे युवा पीढ़ी को रोजगार परक, शोधपरक, गुणवत्तापरक नैतिकता से परिपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। इससे नये शिक्षित भारत का निर्माण हो सके। परिणाम स्वरूप स्वस्थ, समर्थ, शिक्षित, सांस्कृतिक भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी।

वर्ष 1986 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गाँधी ने उच्च शिक्षा के लिए 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' घोषित की थी, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त धनसंचय, रोजमर्रा की मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए शिक्षाविदों को प्रेरित किया। भारत के लिए दुर्भाग्य है कि केन्द्र और राज्य सरकारों ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, स्ववित्तपोषित प्राध्यापकों की नियुक्ति, वेतन, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि पर ध्यानाकर्षण न करके सम्पूर्ण प्रशासनिक मशीनरी को उच्च शिक्षा के निजीकरण, व्यवसायीकरण की ओर मोड़ दिया है जो सिर्फ उद्योगपतियों, पूँजीपतियों तक ही सीमित रह गयी है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना हर भारतीय देखता है किन्तु स्वार्थपरक निजीकरण हो जाने के कारण कल्पना मात्र रह जाती है। लाखों रूपये वार्षिक फीस गरीब व्यक्ति खेत, घर बेंचकर भी नहीं दे सकता है, इससे योग्य विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में रूपयों के दम पर अयोग्य व्यक्ति दाखिला ले लेता है। कहीं न कहीं निजीकरण प्रक्रिया देष को दीमक की तरह खोखला कर रही है। डिग्री कालेजों में शिक्षण कार्य, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, प्रैक्टिकल, मौखिकी परीक्षा, वार्षिक परीक्षा आदि कार्य सरकारी प्रोफेसर के समान ही स्ववित्तपोषित सहायक प्रोफेसर करता है। सच तो यह है कि स्ववित्तपोषित कॉलेजों के प्राध्यापक अधिक मेहनत से करते हैं। ये लोग मूल्यांकन कार्य न करें तो कोई भी विश्वविद्यालय समय से परीक्षाफल घोषित नहीं कर सकता है। फिर वेतन के नाम पर सरकारी शिक्षक को डेढ़ लाख प्रतिमाह वेतन तो स्ववित्तपोषित कालेज के शिक्षक को अधिकतम 10000 रूपये प्रतिमाह क्यों? सरकारें इन असहाय प्राध्यापकों के हितार्थ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती हैं?

प्रदेश के अधिकांश स्ववित्तपोषित महाविद्यालय सत्तापक्ष या विपक्ष के राजनेताओं, सांसदों, विधायकों के हैं। शायद इसीलिए सरकारों द्वारा इन कालेजों को फायदा पहुँचाने के लिए नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं।

अन्य देशों में डिजिटल युग, कौशल विकास, तार्किक, वैज्ञानिक, रोजगार परक शिक्षा दी जा रही है, वहीं भारत 21वीं सदी में भी धर्म जाति, लिंग, अन्धविश्वास, जादू–टोना आदि में उलझा है। वर्श 2017 में लगभग 80000 शिक्षक पकड़े जा चुके थे जिनके अनुमोदन फर्जी या एक से अधिक विश्वविद्यालयों में थे। यह तथ्य स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर स्वीकार कर चुके हैं। ये फर्जीवाड़ा विश्वविद्यालय की मिली–भगत से ही सम्भव है।

उच्च शिक्षा एवं स्ववित्तपोषित कालेजों के प्राध्यापकों की जीवन शैली सुधार और भ्रष्टाचार रोकने हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करना चाहिए–

(1) स्ववित्तपोषित कालेजों के प्राध्यापकों को आधार कार्ड से जोड़ा जाय और प्रत्येक प्राध्यापक को यूनीक कोड दिया जाय।
(2) शिक्षकों का मानदेय सरकार निर्धारित करे और 12 माह का वेतन कालेजों से विश्वविद्यालय अपने खाते में मंगवाकर प्रतिमाह प्राध्यापकों के खाते में स्थानान्तरित करें।
(3) इस कदम से सभी प्राध्यापकों को 12 माह का वेतन मिल सकेगा और फर्जी शिक्षकों पर रोक लगेगी।
(4) अनुमोदन स्थानान्तरण प्रक्रिया सरकार लागू करे, जिससे कुछ हद तक शोषण में रोक लग सकेगी।
(5) प्रदेश के सभी विष्वविद्यालयों में एक निष्चित, सारगर्भित, रोजगार परक, उद्देष्य परक, पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए।
(6) सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया से लेकर परीक्षाफल घोषित होने तक एक ही समय–सारणी लागू करनी चाहिए, जिससे प्रवेश लेने और शिक्षण कार्य में समस्या उत्पन्न न हो।
(7) वस्तुनिष्ठ प्रष्नपत्र हो जाने के कारण नकल चरमोत्कर्श पर पहुँच गयी है, जिसे शासन और विश्वविद्यालय भी स्वीकार कर चुके हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र हो जाने के कारण विद्यार्थियों की लेखन, अध्ययन में रूचि समाप्त हो गयी है। अधिकांश सेल्फ फाइनेन्स कालेजों में शिक्षकों पर ही प्रश्नपत्र हल करने का दबाव डाला जाता है। इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र हटाकर विवेचनात्मक और निबन्धात्मक प्रष्नपत्र 2 सेटों में तैयार कराकर विद्यार्थियों में वितरित किये जाए, इससे बोलकर लिखाने की प्रथा समाप्त होगी।
(8) परीक्षा और शिक्षण कक्षों, कार्यालयों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाये जायें।
(9) परीक्षा केन्द्रों की स्वकेन्द्र प्रणाली समाप्त की जाय।

उच्च शिक्षा में सुधार हेतु ऐसे ही अनेक बहुआयामी ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे भारत के छात्र पूर्व की भांति विश्व में परचम लहरा सकेंगे। कुछ देशों में शिक्षक को 'राष्ट्र निर्माता' की संज्ञा दी गयी है, जहाँ न्यायाधीश भी शिक्षक के सम्मान में कुर्सी से खड़ा हो जाता है पर भारत में शिक्षक की अहमियत न के बराबर है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए दिल्ली सरकार ने 'समान कार्य–समान वेतन' का नियम लागू किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं लागू कर सकती?

केन्द्र और राज्य सरकारों को भली–भांति ज्ञात है कि शिक्षा विभाग को सर्वाधिक आय स्ववित्तपोषित कालेजों से ही होती है, फिर भी इन कालेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकगण आर्थिक और मानसिक रोगी हो रहे हैं। ये शिक्षक बदहाल जीवन जीने को मजबूर हैं। गरीबों, किसानों, मजदूरों, अस्थाई शिक्षक/कर्मचारियों के हित की बात करने वाले नेतागण इनकी दयनीय दशा देखने के लिए क्यों आगे बढ़कर नहीं आते? स्ववित्तपोषित कॉलेजों के प्राध्यापकगण शिक्षा विभाग की उच्च डिग्रियाँ पीएच0डी0, एम0फिल0, नेट, जेआरएफ लेकर भी दैनिक मजदूरों से कम वेतन में गुजर–बसर करने को मजबूर हैं।

यदि समय रहते सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया तो भविष्य में उच्च शिक्षा कल्पना मात्र रह जायेगी। भारत के विश्वगुरू होने का तमगा दूर की कौड़ी हो जायेगी। उच्च शिक्षा एवं ज्ञान पाना टेढ़ी खीर होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप हमारे देश में स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र/छात्राएं केवल साक्षर बनकर बेरोजगारी की कतार को बढ़ाते जायेंगे।

*****